

प्रेषक,

बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय,
गोरखपुर।

सेवा में,

✓ प्रबन्धक,

सुरमाउन्ट इन्टर नेशनल प्रिंट वि०,
सिद्धार्थ इन्टर नेशनल मण्डल, गोरखपुर।

पत्रांक: /नगर/ 1401-07 /2009-10

दिनांक: 10/7/09

विषय: प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थाई मान्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जनपदयी मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की अस्थाई शासनादेश सं०-230/15-6-96-18 एस-7) दिनांक 18.01.96 एवं शासनादेश संख्या-1073(1) 15-6-96-18 एस0(7)/89 दिनांक 10.09.98 के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सत्र 2009-10 से प्रदान की जाती है:-

1. परिषदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाये।
- 2- अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति मान्यता नहीं है। अर्ह अध्यापकों की नियुक्त, अनुमोदन अनुमति प्राप्त कर चालू सत्र में करा लिया जाये।
- 3- अवैधानिक कक्षाएँ संचालित न की जाये।
- 4- बिना पूर्व अनुमति के कोई भी कक्षा उपवर्ग बंद व समाप्त स्थानान्तरित न किये जाये।
- 5- विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क लिया जायेगा तथ उसका लेखा-जोखा रखा जायेगा।
- 6- इस कार्यालय के अनुमति के बिना किसी अर्ह प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त नहीं की जायेगी।
- 7- विभागीय नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन तथा अनियमित कार्यों की दशा में मान्यता निरस्त करने की अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।
- 8- स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु पांच वर्ष के अन्दर लिखित सभी शर्तों को पूरा करते हुये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 9- नियमानुसार पांच वर्ग मान्य होंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर 10/7/09

पृ० सं० /नगर/

/2009-10 तद् दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/विकलांक कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गोरखपुरफ
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र.....नगर क्षेत्र.....गोरखपुर।
4. सगर शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर


PRINCIPAL
SURMOUNT INTERNATIONAL SCHOOL
Siddharthpuram Taramandal, Gorakhpur


Manager
Surmount International School
Siddharth Puram Taramandal
Gorakhpur (U.P.)